

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.एल-14016/01/2011-एनटी(भाग)

दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

यह निर्णय लिया गया है कि अनुसंधान एवं विकास/परीक्षण संगठन/प्राइवेट कंपनियों/दूरसंचार विनिर्माण/साफ्टवेयर विकास संगठन द्वारा किए गए साफ्टवेयर विकास और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रक्रिया जांच के अनुसार अत्यल्प पावर (100 मिलीवाट तक) उत्सर्जन/विकिरण न करने के उद्देश्य से अस्थाई फ्रीक्वेंसी प्रदान करने के बारे में बेतार टेलीग्राफी (परीक्षण सेवा) (संशोधन) नियमावली, 2009 के अंतर्गत प्रशासनिक प्रभार पर प्रशासनिक रूप से तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ विचार किया जाए :

- i. लाइसेंसधारकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली प्रयोगशाला की व्यवस्था से संबंधित विस्तृत प्रलेखन सुविधा प्रदान करना और उनका सख्ती से अनुपालन करना;
- ii. परीक्षण ढांचे में, रेडियो उपस्कर/उपकरण, मानक गैर-निःस््रावी रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल के माध्यम से जुड़े होने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोगशाला के बाहर विकिरण का उत्सर्जन न हो;
- iii. प्रतिबाधा जोड़वाली पारिषण लाइन के अंत में रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्मिनेटरों का प्रयोग किया जाना;
- iv. परीक्षण ढांचा संबंधित रेडियो परिरक्षित चैम्बर/प्रयोगशाला के अंदर होना चाहिए;
- v. रेडियो उपस्करों/उपकरणों को निर्धारित फ्रीक्वेंसी तक प्रदत्त पैरामीटरों के अनुसार ही समंजित किया जाना चाहिए;
- vi. लाइसेंसधारक को परीक्षण अवधि के दौरान प्रयोगशाला के अंदर और उसके चारों तरफ फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, पावर स्तर, हार्मोनिक स्तर आदि जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पैरामीटरों का मापन करना चाहिए और लाइसेंसदाता द्वारा मांग किए जाने पर इनका ब्योरा उसे प्रस्तुत करना चाहिए।
- vii. परीक्षण प्रयोगशाला के किसी स्थान पर मौजूदा प्रयोग/दूरसंचार प्रचालन संबंधी अंतरावरोधन के मामले में, परीक्षण/प्रयोग को तुरंत बंद कर देना चाहिए और इस प्रकार के मामले का निराकरण करवाने के बाद ही इन्हें शुरू किया जाए;
- viii. प्रत्येक बैंड के लिए एक अलग प्रयोगमूलक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा;
- ix. प्रयोग के पूरा हो जाने अथवा प्रयोगमूलक लाइसेंस की समाप्ति के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी उपस्कर (स्थानीय रूप से खरीद किया हुआ या आयातित) को या तो गैर-डीलर स्वामित्व लाइसेंस (एनडीपीएल) के अधीन रखा जाएगा या उसे पुनः निर्यातित कर दिया जाएगा;
- x. रेडियो उपस्कर का प्रयोग भारत में प्राधिकृत प्रयोगात्मक उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा;

- xi. आवेदक को प्रयोग/परीक्षण के पूर्ण होने पर पूरा करने संबंधी रिपोर्ट अथवा यदि आवेदक परीक्षण/प्रयोग हेतु किसी अतिरिक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी उपस्कर को जोड़ना चाहता है, तो तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- xii. आवेदक को प्रत्येक रेडियो फ्रीक्वेंसी उपस्कर के लिए आवश्यक लाइसेंस फीस का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा;
- xiii. रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण आयात करने की अनुमति, फ्रीक्वेंसी आवंटन जारी किए जाने तथा अन्य अंतर-मंत्रालयी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दी जाएगी।
2. आवेदकों से इस आशय के लिए कि वे निम्नलिखित शर्तों के साथ फ्रीक्वेंसी आवंटन हेतु सहमत होंगे, एक वचनबंध भी लिया जाएगा:
- क) स्पेक्ट्रम का आवंटन अनंतिम है और यह राष्ट्रपति के पत्र के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की राय पर सरकार के निर्णय के अधीन है;
- ख) केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करने का अंतिम निर्णय लिए जाने की स्थिति में, स्पेक्ट्रम के अनंतिम आवंटन को वापस ले लिया जाएगा;
- ग) स्पेक्ट्रम के अनंतिम आवंटन को वापस लिए जाने की स्थिति में, स्पेक्ट्रम प्रभार अथवा उसके किसी भाग के लिए किए गए भुगतान को वापस नहीं किया जाएगा;
- घ) स्पेक्ट्रम के अनंतिम आवंटन को वापस लिए जाने की स्थिति में, संबंधित बेतार उपयोगकर्ता बेतार उपस्कर को संसाधित करने के लिए गैर डीलर स्वामित्व लाइसेंस (एनडीपीएल) प्राप्त करेगा अथवा डीपीएल धारकों को वापस करेगा अथवा प्रक्रिया के अनुसार इसका निपटान किया जाएगा।
3. यदि वह फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में अनुरोध किया गया है, एनएफएपी के अनुसार नहीं है तो आवेदक की ओर से इस आशय का वचनबंध भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि वह परीक्षण/अनुसंधान एवं विकास/विनिर्माण आदि के लिए आवंटित ऐसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग भारत में किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने का दावा नहीं करेगा।
4. इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में दी गई उपर्युक्त शर्तों को आशय पत्र (एलओआई), लाइसेंस प्रदान करने के निर्णय (डी/एल) और बेतार प्रचालन लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) में भी जोड़ा जाए।
5. उपर्युक्त शर्तों के अधीन स्पेक्ट्रम का अनंतिम आवंटन अगले आदेश तक किया जा सकता है।

ह०

(वीरेश गोयल)
उप बेतार सलाहकार

सेवा में,

संयुक्त बेतार सलाहकार, आरएलओ (एनआर)/(डब्ल्यू आर)/(एसआर)/(ईआर), डब्ल्यूपीसी स्कंध
उप बेतार सलाहकार, आरएलओ(एनईआर), डब्ल्यूपीसी स्कंध;
सभी उप बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी स्कंध, मुख्यालय, संचार भवन, नई दिल्ली।